जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2026 को आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2026 को सायं 05:00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। समीक्षा बैठक में सम्बन्धित विभागों को निम्न निर्देश दिये गये–

जल जीवन मिशन

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 7/2026 /493/छिहत्तर–1–2026(2027542) दिनांक 28.02.2026 एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 11031/14/2025–WQ-DDWS, दिनांक 12.01.2026 द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा योजनाओं हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अन्य कार्य भी किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य से जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन **हेतु विचार विमर्श किया गया** ।

4184 5-3-2026
09/03/26

संख्या- 7 /2026/493/छिहत्तर-1-2026(2027542)

CDO/Ex. En. Jal Nigam (Rural)

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

जिलाधिकारी इटावा। 05/3/26

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक 20 फरवरी, 2026

विषय- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) स्थापित किया जाना।

महोदया/ महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०11031/14/2025-WQ-DDWS दिनांक 12 जनवरी, 2026 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं कुशल संचालन एवं अनुरक्षण में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

EE(JNR)

2- प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के कुशल एवं प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण हेतु 'उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति, 2024' प्रख्यापित है, जिसमें ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सहयोग से वैण्डर के माध्यम से कराए जाने का प्राविधान किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी इटावा 06/3

3- जल जीवन मिशन की गाइड लाइन्स के अनुरुप जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित/ निर्माणाधीन योजनाओं का 10 वर्षों तक संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित कार्यदायी फर्मों द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के माध्यम से ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के नियन्त्रणाधीन किया जाना है। योजनाओं को संचालित एवं अनुरक्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) में पर्याप्त तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध है, जो वर्तमान में जिला तकनीकी इकाई के रूप में कार्यरत है।

6975 7-3-26

4- अतएव भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2026 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण एवं इस हेतु तकनीकी मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर 'जिला तकनीकी इकाई' (DTU) का निम्नवत् गठन कर लिया जाए:-

क्र0 सं0	पदनाम	पद
1.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सिविल	अध्यक्ष/ संयोजन
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) वि0/यां0	सदस्य

C:\Users\dell\Desktop\GGO .docx

4.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
5.	जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	सदस्य
7.	सहायक विकास अधिकारी, पंचायतीराज (तकनीकी)	सदस्य
8.	जनपद स्तरीय लैब के कैमिस्ट	सदस्य
9.	भूगर्भ जल विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य तकनीकी सदस्य	सदस्य

5- **जिला तकनीकी इकाई (DTU) के कार्य एवं दायित्व**

(1) सभी प्रकार की ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, राज्य योजनाएं, **National Rural Drinking Water Programme** (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) तथा अन्य ग्रामीण योजनाओं को सुजलाम भारत डेटाबेस के अन्दर लाया जाना।

(2) जिला तकनीकी इकाई द्वारा रिऐक्टिव मैन्टेनैन्स को कम करने, नियोजित पूर्वानुमान आधारित एवं मितव्ययी संचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से-

(I) सुजलाम भारत ऐसेट रजिस्ट्री के आधार पर योजनाओं के विभिन्न कम्पोनैन्ट्स हेतु डिजिटल प्रीवैन्टिव मैन्टेनेन्स शिड्यूल तैयार कराना।

(II) विभिन्न कम्पोनैन्ट्स के जीवनकाल एवं सिस्टम के परफॉरमैन्स के आधार पर मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक ऐसेट रीप्लेसमैन्ट रणनीति तैयार करना।

(III) विभिन्न कम्पोनैन्ट्स के फेल्योर, प्लान्ट रीप्लेसमैन्ट तथा उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इन्टैलिजैन्स (ए०आई०) आधारित पूर्वानुमान के आधार पर ऑप्टिमम् भण्डार का प्रबन्धन कराना।

(IV) डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से प्राप्त तकनीकी एवं ऑपरेशनल समस्याओं का पारदर्शी व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कराना।

(V) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, स्थान विशेष/ क्षमता के दृष्टिगत सीधे ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा अथवा तकनीकी एजेन्सी/ फर्म को ऐन्गेज करते हुए किया जा सकता है।

(VI) योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण अनुबन्ध तैयार करना, स्कोप ऑफ वर्क परिभाषित करना, सर्विस लैवल, स्टॉफ की आवश्यकता, स्पेयर्स एवं भण्डार की आवश्यकता व सुरक्षात्मक उपायों के सम्बन्ध में जिला एवं ग्राम पंचायतों को सुझाव देना।

(VII) पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आने वाली समस्याओं के निवारण, प्रीवैन्टिव मैन्टेनैन्स एवं आपातकाल में रिस्पॉन्स के सम्बन्ध में स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार कराना।

(VIII) जल जीवन मिशन की योजनाओं का क्रियान्वयन, प्लानिंग, कमिशनिंग तथा हैण्डओवर (जलार्पण दिवस के माध्यम से) सुनिश्चित कराना।

(IX) योजनाओं के दीर्घकालिक स्थायित्व एवं नियमित व पर्याप्त मात्रा में गुणवतायुक्त पेयजल आपूर्ति के दृष्टिगत भविष्य की प्लानिंग एवं वैकल्पिक टैक्नोलॉजी के सम्बन्ध में सुझाव देना।

6- जिला तकनीकी इकाई (DTU) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, संचालन एवं अनुरक्षण को बेहतर बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

7- जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा नियमित व अन्तराल पर बैठक कर योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में आ रही समस्याओं के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान से तथा जल सेवा ऑकलन फॉर्म से प्राप्त फीडबैक का अध्ययन करते हुए, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) को उसके निवारण हेतु सुझाव दिए जाएंगे।

8- जिला तकनीकी इकाई (DTU) द्वारा योजनाओं हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अन्य कार्य भी किए जाएंगे।

9- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराते हुए ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(एस.पी. गोयल)

मुख्य सचिव

संख्या- 7 /2026/493 (1)/छिहत्तर-1-2026 (2027542), तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(6) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(7) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(10) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
(11) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by AMBRISH KUMAR SINGH Date: 28-02-2026 18:12:21

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।